न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

राजस्व अपील संख्या : 02/2018

राजू पुत्र श्री नानगा, जाति—मीणा, निवासी—थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील—कोटखावदा, जिला—जयपुर ।

अपीलान्ट,

बनाम

1. हरि नारायण पुत्र श्री शंकर, जाति—मीणा, निवासी—थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील—कोटखावदा, जिला—जयपुर ।
2. भौरीलाल पुत्र श्री किशना, जाति—मीणा, निवासी—थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील—कोटखावदा, जिला—जयपुर ।
3. बदरी पुत्र श्री झूंथा, जाति—मीणा, निवासी—थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील—कोटखावदा, जिला—जयपुर ।
4. महादेव पुत्र श्री झूंथा, जाति—मीणा, निवासी—थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील—कोटखावदा, जिला—जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, कोटखावदा दिनांक 16.01.2018 बमिसल संख्या 1/17 उनवानी हरिनारायण वगैराह बनाम राजू वगैराह)

उपस्थितः—
1. श्री निर्मल कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री एन.एल. शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 की ओर से।

निर्णय दिनांक :— 29.10.2018

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 व चन्दा पुत्र झूंथा द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू में वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् बेदखल करने अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला—जयपुर की आराजी ख0नं0 321 रकबा 0.07 वादीगण की स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर दौराने दावा उनवानी हरिनारायण बनाम कन्हैयालाल के लम्बित रहते व स्थगन के दौरान प्रतिवादी सं0 1 राजू पुत्र नानगा, जाति—मीणा ने 40x30 में अवैध रूप से अतिक्रमण कर निवास कर रहा है, जिसे जरिये पुलिस बेदखल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया जावे।

इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप खण्ड अधिकारी, चाकसू ने आज्ञा दिनांक 07.03.2017 द्वारा पत्रावली तहसीलदार, कोटखावदा को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भेजे जाने की आज्ञा दी है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 07.03.2017 की अनुपालना में तहसीलदार, कोटखावदा ने प्रतिवादी सं0 1 राजू पुत्र नानगा की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर ग्राम थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा की आराजी ख0नं0 321 रकबा 0.07 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक श्री निर्मल कुमार जैन का कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.01.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व विधि–विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई–साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण हरिनारायण वगैराह बनाम राजू वगैराह में अपीलान्ट् ने धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिसका निर्णय भी धारा 183 के अन्तर्गत किया जाना है क्योंकि इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष ही मीणा जाति के है। ऐसी स्थिति में धारा 183बी का प्रकरण न होकर केवल धारा 183 का ही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को निर्णित नही कर पूरे प्रकरण को ही निर्णित कर दिया जबकि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार पहले प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निर्णित किया जाना चाहिये था। इसके पश्चात् ही यदि आवश्यक हो तो मूल दावा निर्णित किया जाना चाहिये था। जिसके अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर, तनकी बनाकर, गवाह लेकर ही गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेक का प्रयोग किये मनमाने तौर पर निर्णय दिनांक 16.01.2018 को अपीलान्ट् की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अपीलान्ट् के

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर बेदखली जैसी अवैध आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। निर्णय दिनांक 16.01.2018 में धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का विवेचन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट् अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट् ने अधीनस्थ न्यायालय में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की स्थगन आज्ञा दिनांक 27.11.2017 की प्रति प्रस्तुत की थी जिस पर मौखिक रूप से यह आश्वस्त किया गया था कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के निर्णय तक बेदखली की कार्यवाही रोक देंगे किन्तु इन सब तथ्यों के विपरित अपीलाधीन आज्ञा पारित की है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 321 से बेदखली के आदेश पारित किये है जिसमें अपीलान्ट् के कई वर्षो पूर्व से पुख्ता मकानात बने हुए है। वर्तमान में खसरा नम्बर 321 का राजस्व नक्शा बढा हुआ है तथा इसके पडौसी खसरा नम्बर 316 का नक्शा छोटा बना रखा है, खसरा नम्बर 316 आबादी भूमि है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 124 थे जिसका नक्शा सही था। साबिका नक्शें के अनुसार अपीलान्ट् के मकानात आबादी भूमि में बने हुए है परन्तु नये नक्शें के हिसाब से रेस्पोडेन्ट् की भूमि में आते है, इस त्रुटि को दुरूस्त करवाने बाबत् नियमित दावा दायर किया हुआ है, जिसमें रेस्पोडेन्ट् पक्षकार है और उपस्थित हुआ है किन्तु इन सब के बावजूद रेस्पोडेन्ट् ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आज्ञा पारित करवा ली है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 16.01.2018 निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट् सं0 1 लगायत 4 के विद्वान् अभिभाषक श्री एन.एल. शर्मा का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.01.2018 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित की गई है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 07.03.2017 से कोई आपत्ति थी तो उसकी अपील की जानी चाहिये थी, उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 07.03.2017 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई–साक्ष्य का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट् प्रकरण में अनावश्यक दैरीना कर प्रकरण को पैण्डिग रखना चाहता है, जिससे कि वादग्रस्त आराजी पर उसका अवैध अतिक्रमण बना रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। धारा 183बी की कार्यवाही एक समेरी प्रोसिडिंग है। पटवारी हल्का ने दिनांक

27.11.2017 को मौका निरीक्षण किया है, मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 321 की खातेदारी हरिनारायण वगैराह के नाम से है, जिस पर राजू पुत्र नानगा ने 40X30 फीट में दो कच्चे घर एवं एक रसोई तथा 6 इंच ऊंची चबूतरी के आगे रास्ता 7 फीट में बाड़ा बनाकर अतिक्रमी की हैसियत से निवास कर रहा है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य से बखूजी सिद्ध है कि राजू द्वारा रेस्पोन्ट्स की आराजी पर अवैध रूप अतिचार किया गया है। अनुसूचित जन–जाति की आराजी से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने हेतु नियमान्तर्गत आज्ञा पारित की गई है। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 16.01.2018 यथावत रखी जाकर अतिक्रमी को मौके से तुरन्त बेदखल करने की आज्ञा फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार, कोटखावदा ने उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 07.03.2017 के अनुसरण में प्रकारण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय दिनांक 16.01.2018 पारित किया है। निर्णय दिनांक 16.01.2018 में मुख्य रूप से आपत्ति का बिन्दु यह उठाया गया है कि वादग्रस्त आराजी के दोनों पक्ष मीणा जाति के सदस्य है। ऐसे प्रकरण का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के अन्तर्गत न किया जाकर धारा 183 के अन्तर्गत किया जाना चाहिये था जिसके अधिकार केवल मात्र उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर को है। विवाद के उक्त बिन्दु के परिपेक्ष्य में अधिनियम की धारा 183बी का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है:– **"183 B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a Scheduled tribe -** (1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent. (2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard

to the person alleged to be a trespasser." इस प्रकार अधिनियम की धारा 183बी में स्पष्ट प्रावधान है कि एक अतिक्रमी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आराजी पर अवैध रूप से काबिज है, को समेरी प्रोसिडिंग्स द्वारा बेदखल किया जा सकेगा। धारा 183बी में यह प्रावधान नही है कि यह अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी पर अतिक्रमण के मामलों में बेदखली हेतु लागू नही होगा और केवल स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी पर अतिचार किये जाने पर बेदखली हेतु लागू होगा। बल्कि स्पष्ट प्रावधान है कि कोई अतिक्रमी जिसके द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी पर अतिचार कर लिया है उसे बेदखल किये जाने हेतु समेरी प्रोसिडिंग द्वारा बेदखल किया जा सकेगा। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 16.01.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

29/10/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)